

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस सं0- 12/2019-20

प्रदीप पंडित बनाम् मुजाहिद अंसारी उर्फ मौजा


02.09.2022

-: आदेश :-


प्रस्तुत वाद आवेदक प्रदीप पंडित, पे0-बाबुलाल पंडित, साकिन-बागजोरी, थाना-ललमतिया, जिला-गोड्डा के द्वारा दाखिल आवेदन, जो मौजा-बागजोरी नं0-29, जमाबंदी नं0-08, दाग नं0-99 रकवा-00-01-00 धूर जमीन से विपक्षी मुजाहिद अंसारी उर्फ मौजा पे0-जलालउद्दीन अंसारी, साकिन-बागजोरी, थाना-ललमतिया, जिला-गोड्डा को उच्छेद करने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं उभय पक्षों को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

दिनांक-25.01.2022 को प्रथम पक्ष के पिता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन समर्पित कर आवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त प्रक्रिया को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्षों के लगातार अनुपस्थित रहने एवं वाद में रूची नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



02.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


02.09.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar Singh
Ad
11/10/22


11/10/22